न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 14 / 2021

वादीगण

1. रेवी देवी पुत्री कृष्ण
2. खेताराम पुत्र कृष्ण
3. नर्मदा पुत्री कृष्ण
4. प्रवीण पुत्र कृष्ण
5. झमकादेवी पत्नी कृष्ण
   जातियान भील निवासीयान बड़गांव तहसील रानीवाड़ा जिला–सांचौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बादली देवी पुत्री मुलाजी
2. भुराराम पुत्र मुलाजी
3. जेठाराम पुत्र धनाजी
4. सवाराम पुत्र धनाजी
5. नर्मदा पुत्री धनाजी
6. राजु पुत्र धनाजी
7. संगीता पुत्री जवानाराम
8. कैलाश पुत्र जवानाराम
9. टीना पुत्री जवानाराम
10. देवा पुत्र जवानाराम
11. दिनेश पुत्र जवानाराम
12. निता पुत्री जवानाराम जातियान भील निवासीयान बड़गांव तहसील रानीवाड़ा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रानीवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला–सांचोर

दावा बाबत खातेदारी हकों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल।
2. प्रतिवादी संख्या 13 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 08.02.2024

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में वादपत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा बड़गांव तहसील रानीवाड़ा के नवीन खाता संख्या 244 के खसरा संख्या 2278 / 387, 2279 / 388, 2280 / 391, 2283 / 393, 391 व 392 रकबा क्रमश 0.06, 0.02, 0.20, 0.59, 1.49, 0.14 हैक्टेयर जूमले रकबा 2.50 हैक्टेयर खातेदारी की कृषि आराजी आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पहले वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा – परदादा उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पूर्व में वादीगण के पूर्वज का उक्त कृषि आराजी पर सवाजी का हक अधिपत्य था सवाजी के दो पुत्र दौलाराम व हिमताराम थे, दौलाराम के एक पुत्र धुड़ाजी थे जिनकी नाऔलाद अविवाहित की मृत्यु हो चुकी हैं, एवं हिम्मताजी के एक पुत्र मूलाजी थे मूलाजी के पांच सन्ताने बादली, कृष्ण, वसना, भूरा व कसुंबी थे। उक्त कृषि आराजी दौलाराम व हिमताजी की मृत्यु के पश्चात् वारिसान में धुड़ाराम व मुलाजी को प्राप्त हुई थी जिसमें दोनों का आधा – आधा हक अधिकार उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी में स्थित थी, धुड़ाजी की नाऔलाद फौत होने से पूर्व उन्होने अपने भाई मूलाजी के एक पुत्र कृष्ण को अपने जीवनकाल में गोदी पुत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

रूप में स्वीकार कर सामाजिक प्रथा व रिति रिवाज अनुसार धुडाजी पुत्र दौलाजी ने वादीगण के पिता/पति कृष्ण को समाज के सामने सामाजिक रिति रिवाज कर व अनुष्ठान कर गोद लिया था। गोद जाने के पश्चात धुड़ाजी की सेवा चाकरी व जीवन पर्यन्त उनका भरण पोषण व अन्य धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम कृष्ण ने किये थे। धुड़ाजी की मृत्यु के पश्चात् उनके पिछे सामाजिक प्रथा अनुसार पिण्ड दान व अन्य प्रकार के मृत्यु के पश्चात् 12 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान भी कृष्ण ने किये थे तथा एक पुत्र के नाते धुडाजी की सेवा चाकरी की थी। धुड़ाजी ने अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का मौके पर विभाजन कर अपना हक हिस्सा कृष्ण को सौप दिया था एवं गोदी पुत्र होने के नाते उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण के पिता को वारिसान में प्राप्त हुई है। कृष्ण की भी मृत्यु आज रोज से पूर्व दिनांक 05.06.2002 को बड़गांव में हो चुकी है, एवं धुड़ा पुत्र दौलाजी की मृत्यु आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं धुड़ाजी की मृत्यु के पश्चात् वादीगण कृष्ण के विधिक वारिसान है।

वादीगण के पिता कृष्ण ने जीवन पर्यन्त धुड़ाजी पुत्र दौलाजी की सेवा सुश्रुषा व उनका भरण पोषण एक पुत्र के रूप में करता था। वादी के गोद जाने के पश्चात सभी जिम्मेदारी वादी के जिम्मे थी, लेकिन वादी उस समय छोटा था जिस कारण सभी लोग सामलाती परिवार में एक साथ निवास करते थे। धुडाजी की सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का वहन भी कृष्ण ने अपने जीवनकाल में निर्वहन किया हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी में धुड़ाजी पुत्र दौलाजी का आधा हक हिस्सा स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में भी दर्ज हैं। जिसका कब्जा पूर्व में धुड़ाजी पुत्र दौलाजी तथा उसके पश्चात उनके गोदी पुत्र कृष्ण के पास प्रतिवादीगण की जानकारी में निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है, तथा अपने जीवनकाल में कृष्ण ने उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण व लालन पालन किया है। उक्त भूमि मौके पर समतल करके कृष्ण ने अपने जीवनकाल में कृषि योग्य बनाया था। कृष्ण कुमार की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण की जानकारी में वादीगण का कब्जा अधिपत्य व स्वामित्व निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है, जिसके हक अधिकार बाबत किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद नहीं है। मूलाजी के पुत्र कृष्ण को धुड़ाजी ने नाऔलाद होने के कारण गोद लिया था तब से ही गोदी पुत्र के रूप में कृष्ण के साथ धुड़ाजी सामलाती परिवार में निवास करते थे जो प्रतिवादीगण के पूर्वजो व प्रतिवादीगण की जानकारी में तथा सामाजिक प्रथा होने के कारण व नाऔलाद होने से समाज के समक्ष धुड़ाजी ने कृष्ण को गोदी पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। कृष्ण पढ़ा लिखा नहीं था तथा कृषि कार्य करता था जिस कारण राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं रख पाया एवं धुड़ाजी की मृत्यु के समय अल्प आयु का होने से राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवा पाया। लेकिन लगभग 35 वर्ष पूर्व धुड़ाजी की मृत्यु होने के पश्चात उक्त भूमि पर कृष्ण का हक अधिकार निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है, एवं कृष्ण की मृत्यु के पश्चात वादीगण का कब्जा व अधिपत्य निरन्तर व निर्बाध रूप से चल रहा है।

वादीगण के पिता कृष्ण की मृत्यु होने के पश्चात् वादीगण उक्त कृषि भूमि पर आधा हक हिस्से की आराजी पर कब्जे काबिज हैं, तथा निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा अधिपत्य वादीगण का चला आ रहा है। प्रतिवादी भूराराम व वचनाराम ने अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया है। शेष प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाम अंकित है प्रतिवादीगण के हक हिस्से में मुलाजी का हक हिस्सा स्थित है, तथा नियमानुसार वारिसान में मुलाजी का हक हिस्सा अर्थात् आधा हक हिस्से पर प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाम इन्द्राज है लेकिन प्रतिवादीगण को जब यह पता चला कि वादीगण के पिता कृष्ण के अधिपत्य में जो कृषि आराजी स्थित है जिस पर वर्तमान समय तक आधा हिस्से में धुड़ा पुत्र दौलाजी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तो प्रतिवादीगण के नियत में खोट आ गई और वादीगण को धमकाने लगे कि कृषि भूमि में बराबर बांटकर लेंगे तब वादीगण ने राजस्व अधिकारी से सम्पर्क कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी की प्रति देखी तो जानकारी हुई कि उक्त कृषि आराजी में वादीगण के नाम के साथ धुड़ाजी पुत्र दौलाजी का आधा हिस्सा अंकित नहीं है, एवं राजस्व अधिकारियों को इन्द्राज करने के लिए वादीगण द्वारा प्रार्थना भी पेश किये गये एवं निवेदन कर राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करवाने हेतु तहसील कार्यालय मे चलने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करते रहे एवं उनका हमेशा यही जवाब रहता था कि हमने तो जमीन को बेच दिया है अगर हम लोगों को साथ लेकर जाते हो तो उक्त भूमि में से हमको भी कुछ कृषि आराजी या नकद देने पड़ेंगे। कृषि भूमि राजस्व आराजी जमाबंदी में अभी तक कृष्ण का नाम धुड़ा पुत्र दौला के साथ नहीं जुड़ा है एवं न ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। धुड़ाजी ने कृष्ण को गोद लिया था, गोदी पुत्र होने के नाते धुड़ाजी की परिसम्पत्ति पर अधिकार कृष्ण का है। जिस कारण खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। वाद कारण इसलिए पैदा हुआ कि प्रतिवादीगण पारिवारिक सम्पत्ति का विभाजन पूर्व में आपसी सहमति से दौलाती व मुलाजी के जीवनकाल में ही कर दिया था। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वादीगण के भाई बंट अनुसार धुड़ाजी पुत्र दौलाजी के हक हिस्से में आई सम्पत्ति जो वारिसान में गोदी पुत्र के रूप में कृष्ण को मिली थी और कृष्ण की मृत्यु के पश्चात वादीगण को उपरोक्त आराजी में धुड़ाजी का हक हिस्सा मिला है लेकिन राजस्व रेकर्ड में अभी तक वादीगण के पिता व वादीगण का नामान्तरकरण नहीं हुआ है। इसलिये वादीगण की ओर यह वादपत्र बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

वादपत्र में वादीगण इस्तदुआ है कि वादग्रस्त आराजी मौजा बड़गांव तहसील रानीवाड़ा के नवीन खाता संख्या 244 के खसरा संख्या 2278/387, 2279/388, 2280/391, 2283/393, 391 व 392 रकबा क्रमश 0.06, 0.02, 0.20, 0.59, 1.49, 0.14 हैक्टेयर जूमले रकबा 2.50 हैक्टेयर कृषि आराजी में दर्ज धुड़ा पुत्र दौलाजी के हिस्से में आई कृषि आराजी में आधा हिस्सा वादीगण के नाम खातेदारी घोषणा वादीगण हक में किये जाने की डिक्री जारी कर उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें। तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री की जावे की उक्त वर्णित कृषि आराजी पर आधा हक हिस्से में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप स्वयं या अपने एजेन्टो, नौकरो से न करवाये एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 13 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र का फिकरा संख्या 1 राजस्व रेकर्ड से संबंधित है, जिसे वादीगण सक्षम दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड से साबित करें। वादपत्र का फिकरा संख्या 2 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की वंशावली से संबंधित है। वादीगण सक्षम दस्तावेज, साक्ष्य एवं गवाहन से साबित करें। फिकरा संख्या 3 से 6 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 से संबंधित है। जो वादीगण सक्षम दस्तावेज, साक्ष्य एवं गवाहन से साबित करें। वादपत्र का फिकरा संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। मुझ प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध कोई वादकरण पैदा नहीं होता है। वादपत्र का फिकरा संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। मुझ प्रतिवादी संख्या 13 को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। फिकरा संख्या 9 से 13 न्यायालय से संबंधित है।

3. वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता दस्तावेज पेश किये एंव प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व साक्ष्य दस्तावेज तथा प्रतिवादी संख्या 13 के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन कर निम्नानुसार चार तनकीयात कायम कर एक्प्लेन की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

1. आया कि सरहद मौजा बड़गांव तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 2278 / 387, 2279 / 388, 2280 / 391, 2283 / 393, 391, 392 जूमले रकबा 2.50 हैक्टेयर में धुड़ा पुत्र दौला जाति भील का 1 / 2 हिस्सा है। जिम्मे.....................वादीगण
2. आया कि स्व. धुडा पुत्र दौला जाति भील ने अपने जीवन काल में मूला पुत्र हिमता जाति भील के पुत्र कृष्ण पुत्र मूला जाति भील को सामाजिक रिती–रिवाज व प्रथा के अनुसार गोद लिया था। जिससे वादीगण धुडा पुत्र दौला के प्रथम श्रेणी के वारीसान होने से वादीगण वादग्रस्त आराजी में धुड़ा पुत्र दौला का 1 / 2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे..................वादीगण
3. आया कि वादीगण स्व. धुडा पुत्र दौला के गोद पुत्र कृष्ण गोद पुत्र धुडा के प्रथम श्रेणी के वारीसान होने से वादग्रस्त आराजी में 1 / 2 हिस्सा की खातेदारी वादीगण अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है। जिम्मे................वादीगण
4. आया कि वादीगण वादग्रस्त आराजी पर बाद घोषणा व कब्जा–काश्त में 1 / 2 हिस्से पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे.....................वादीगण

4. वादीगण की ओर से वादीया रेवीदेवी पुत्री कृष्ण का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1, रमेश कुमार पुत्र कालूराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 2, भीखाराम पुत्र राणाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 3, माधाराम पुत्र उमाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 4, शंकराराम पुत्र नागजीराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 5, प्रेमसिंह पुत्र हीराजी का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 6 प्रस्तुत कर बयान कलमबद्व करवाए गए। जिसमें वाद पत्र के तथ्यों को मुख्य परीक्षा में दोहराया गया तथा वादीगण द्वारा दावे के साथ मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 170, 171 की खतौनी बन्दोबस्त सवंत 2010 से 2029 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, जमाबंदी सवंत 2036 से 2039 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, जमाबंदी सवंत 2047 से 2050 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3, जमाबंदी सवंत 2063 से 2066 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4, मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5, मौजा बड़गांव के नवीन नक्शे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6, पूराने नक्शे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 7, जमाबंदी सवंत 2067 से 2070 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 8, प्रेमसिंह पुत्र हीराजी का 100 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रदर्श 9, सामाजिक बही की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 10, सामाजिक बही का अनुवाद की प्रति प्रदर्श 11, रमेश कुमार पुत्र कालूराम का 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रदर्श 12, भीखाराम पुत्र रामाराम का 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रदर्श 13, माधाराम पुत्र उमाराम का 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रदर्श 14, शंकराराम पुत्र नागजीराम का 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रदर्श 15, हालात मौके के फोटोग्राफ प्रदर्श 16 से 18 व वर्तमान जमाबंदी सवंत 2075 से 2078 खाता संख्या 244 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 19, आदि दस्तावेज पेश किये गए। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर जिरह शून्य की गई व प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य नहीं करवाने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी। बहस तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर वाद में विरचित कि गई तनकीयात अनुसार तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी संख्या 1

"आया कि सरहद मौजा बड़गांव तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 2278 / 387, 2279 / 388, 2280 / 391, 2283 / 393, 391, 392 जूमले रकबा 2.50 हैक्टेयर में धुड़ा पुत्र दौला जाति भील का 1 / 2 हिस्सा है।" यह तनकी वादीगण के जिम्मे रखी गई। वादीगण इस तनकी के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण में खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 – 2029 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत [illegible]–39 प्रदर्श – 2, जमाबंदी 2047 – 2050 प्रदर्श – 3, जमाबंदी संवत 2063–20[illegible] प्रदर्श – 4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 5, जमाबंदी संवत 2067–2070 प्रदर्श – [illegible] संवत् 2075 – 2078 प्रदर्श 19 प्रस्तुत किये व मौखिक साक्ष्य में गवाह रेवीदेवी पुत्री कृष्ण का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

1, रमेश कुमार पुत्र कालूराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 2, भीखाराम पुत्र राणाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 3, माधाराम पुत्र उमाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 4, शंकराराम पुत्र नागजीराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 5, प्रेमसिंह पुत्र हीराजी का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 6 प्रस्तुत कर बयान कलमबद्व करवाये गए। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श – 1 अनुसार वादग्रस्त आराजी के गत खसरा नंबर 171, 170 जुमले रकबा 53 बीघा 18 बिस्वा में लखमा वल्द दाना 1/4, चापा वल्द लूम्बा 1/4, धुड़ा वल्द दोला 1/4, मुला वल्द हेमा 1/4 कौम भील सा. देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 प्रदर्श 2 में लखमा फौत होने पर वारीसान छोगा, मनजी, नरसा पि. लखमा 1/4, चौपा वल्द लुम्बा 1/4, धुडा वल्द दोला 1/4, मूला वल्द हेमा 1/4 कौम भील सा. देह खातेदार दर्ज हुए तत्पश्चात नवीन भू– प्रबंध के दोरान मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 के अनुसार उक्त आराजी पूराने खसरा नम्बर नंबर 171 से 387, 388, 391, 392, 496, 497, व पूराने खसरा नम्बर 170 व 171 से 393 नवीन खसरान् सृजित हुए। नवीन बंदोबस्त के पश्चात् प्रदर्श – 3 अनुसार आराजी नवीन खसरा नंबरान में छोगा, मनजी, नरसा पि. लखमा 1/4, चोंपा वल्द लुम्बा 1/4, धुड़ा वल्द दोला 1/4, मूला वल्द हेमा 1/4 कौम भील सा. देह खातेदार के रूप में बतौर खातेदार इन्द्राज हुए। तत्पश्चात जमाबंदी सवंत 2063 से 2066 प्रदर्श – 4 अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी के खाते में जरिये नामान्तरकरण से पृथक – पृथक इन्द्राज हुए। जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 प्रदर्श – 8 अनुसार आराजी खसरा नंबर 496, 497 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 964, 1069, 1101, 1383, 1402, 1405, 1406, 1408, व 1415 से विभिन्न खातेदारों के नाम जमाबंदी में इन्द्राज है। तत्पश्चात अभिलेख में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 35/2019 मेंप पारीत निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2022 की पालना में वादग्रस्त आराजी में जरिये नामान्तरकरण संख्या 2113 से खसरा नम्बर 2279/388, 392, 2278/387, 2280/391, 391 व 191 का धुड़ा पुत्र दोला के नाम इन्द्राज हुआ। जो जमाबंदी सवंत 2075 से 2078 प्रदर्श – 19 अनुसार वादग्रस्त खसरा नंबर 2278/387, 2279/388, 2280/391, 2508/391, 2509/391, 2520/392 जूमले रकबा 1.20 हैक्टेयर आराजी में धूड़ा वल्द दौला कौम भील के नाम खातेदार इन्द्राज है।

वादग्रस्त आराजी में धुड़ा वल्द दौला का 1/4 हिस्सा प्रदर्श – 1 अनुसार इन्द्राज था। नामान्तरकरण संख्या 2113 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में धुड़ा वल्द दौला 1/2 हिस्सा के सहखातेदारी के रूप में इन्द्राज था जिसमें न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2022 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 2113 के जरिए वादग्रस्त खसरा नम्बर 2278/387, 2279/388, 2280/391, 2508/391, 2509/391, 2520/392 जूमले रकबा 1.20 हैक्टेयर में धुड़ा वल्द दौला का पूर्ण हिस्सा इन्द्राज हुआ। जो जमाबंदी प्रदर्श – 19 अनुसार स्पष्ट है। इस प्रकार यह तनकी प्रस्तुत प्रदर्शित किए गए दस्तावेजों के अनुसार वादीगण के हक में साबित होती है।

तनकी संख्या – 2

''आया कि स्व. धुडा पुत्र दौला जाति भील ने अपने जीवन काल में मूला पुत्र हिमता जाति भील के पुत्र कृष्ण पुत्र मूला जाति भील को सामाजिक रिती–रिवाज व प्रथा के अनुसार गोद लिया था। जिससे वादीगण धुडा पुत्र दौला के प्रथम श्रेणी के वारीसान होने से वादीगण वादग्रस्त आराजी में धुड़ा पुत्र दौला का 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। '' यह तनकी वादीगण के जिम्मे रखी गई। वादीगण ने इस तनकी के संबंध में दस्तावेजी प्रमाणों के अलावा साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 से 6 प्रस्तुत किए। जिसमें रेवीदेवी पुत्री कृष्ण का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1, रमेश कुमार पुत्र कालूराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 2, भीखाराम पुत्र राणाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 3, माधाराम पुत्र उमाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 4, [illegible]म पुत्र नागजीराम का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 5, प्रेमसिंह पुत्र हीराजी का साक्ष्य [illegible] पीडब्ल्यू 6 प्रस्तुत किय। जिसमें सवा के वारीसान दोला व हिमता थे। [illegible] के वारीसान धुडा व हिमता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

वारीसान मुला, धुड़ा नाऔलाद अविवाहित होने से गवाह पीडब्ल्यू 1 से 6 अनुसार दोला के एक पुत्र धुड़ाजी थे। तथा धुड़ा की नाऔलाद अविवाहित मृत्यु हो चुकी थी। हिमताजी के जायन्दा वारीस मूला व मूला के वारीसान बादली, कृष्ण, वसना, मुला, भूरा व कसुबी थे। इन मूला के वारीसान में से कृष्ण को धुड़ा के गोद लिए जाने की उक्त गवाहान द्वारा बखुबी पुष्टि की है। साथ ही तत्कालीन समय हिन्दु रिति–रिवाज के अनुसार सामाजिक कार्य गोद लेने इत्यादि की परम्परा कुटुम्ब के भाटों द्वारा संपादित की जाती थी। इसी प्ररिपेक्ष्य में सामाजिक रिति – रिवाज अनुसार कुटुम्ब द्वारा मूला जी के जायन्दा पुत्र कृष्ण को धुड़ाजी जिसके कोई संतान इत्यादि नहीं थी। उनके गोद पुत्र के रूप में दिया जाने की बही में इन्द्राज होना गवाह पीडब्ल्यू – 6 प्रेमसिंह पुत्र हिराजी उम्र 63 वर्ष जाति राव द्वारा भील समाज की वंशावली व बही में इन्द्राज को बखुबी साबित किया है, तथा अपने बही में वर्णित इबारत का पिंगल भाषा में अंकित होने से हिन्दी भाषा में रूपान्तरण कर प्रदर्श – 10 पिंगल भाषा में बही व प्रदर्श – 11 हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किए है। उक्त भाट बही जो सामाजिक रिति – रिवाज अनुसार अभिलिखित की जाती है। जिसके अनुसार धुड़ा के भाई मूला के पुत्र कृष्ण को गोद दिया है। प्रस्तुत गवाहान के बयानों के अनुसार धुड़ा ने अपने जीवन काल में भाई मुला के पुत्र कृष्ण को सामाजिक रिती – रिवाज, जाति बिरादरी व प्रथा अनुसार सामाजिक आयोजन कर समाज एवं रिश्तेदारों के समक्ष कृष्ण को गोद लिया जाना एवं कृष्ण ने गोदी पुत्र होने का दायित्व का निर्वहन किया जाना, तथा धुड़ा की मृत्यु के पश्चात न्यात, पिण्डदान आदि सामाजिक कार्य बतौर पुत्र संपादित किये। जो सामाजिक कार्य अपने सामने किये जाने की ताईद की है। साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि कृष्ण की मृत्यु होने के पश्चात उनके वारीसान नैतिक व सामाजिक दायित्व करते आना व्यक्त करते हुए छुड़ाजी के मात्र एक वारिस कृष्ण गोद पुत्र होना स्पष्ट रूप से साबित हुआ है। कृष्ण के वारीसान के रूप में वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रथम श्रेणी के वारीसान होने व धुड़ा वल्द दौला के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीगण के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3

“आया कि वादीगण स्व. धुडा पुत्र दौला के गोद पुत्र कृष्ण गोद पुत्र धुडा के प्रथम श्रेणी के वारीसान होने से वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादीगण अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है। ” यह तनकी वादीगण के जिम्मे रखी गई, चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा दस्तावेजी प्रमाणों एवं साक्ष्यों के आधार पर बखुबी साबित करवाया जाने से वादग्रस्त आराजी में धुड़ा पुत्र दोला के गोद पुत्र कृष्ण होने से कृष्ण गोद पुत्र धुड़ा के प्रथम श्रेणी के वारीसान के रूप में वादीगण होने से वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण कृष्ण के वारीसान होने की पुष्टि वादीगण के गवाहान पीडब्ल्यू 2 रमेश कुमार पुत्र कालूराम, पीडब्ल्यू 3 भीखाराम पुत्र राणाराम, पीडब्ल्यू 4 माधाराम पुत्र उमाराम, पीडब्ल्यू 5 शंकराराम पुत्र नागजीराम, पीडब्ल्यू 6 प्रेमसिंह पुत्र हीराजी द्वारा बखुबी श–शपथ की गई है। इसके विपरीत वादीगण कृष्ण के प्रथम श्रेणी के वारीसान नही होने के क्रम में किसी भी प्रतिवादीगण अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में कोई उजर आपत्ति आज दिन तक न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण कृष्ण के प्रथम श्रेणी के वारीसान होना पाया जाने से भी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीगण के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4

“आया कि वादीगण वाद[illegible] आराजी पर [illegible]ा व कब्जा–काश्त में 1/2 हिस्से पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अ[illegible]री [illegible]” यह तनकी वादीगण के जिम्मे रखी गई चूंकि तनकी संख्या 1 [illegible] 3 वादीगण [illegible] प्रमाणों एवं मौखिक साक्ष्यों से बखुबी साबित करवाया जा[illegible] [illegible] आराजी में धुड़ा वल्द दौला के गोद पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

कृष्ण के स्थान पर वादीगण प्रथम श्रेणी के वारीसान होने से वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी पाये जा चुके है। वादीगण के वादग्रस्त आराजी पर कब्जा – काश्त एवं वैधानिकता के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की कोई उजर आपत्ति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त तनकी के विवेचन एवं निर्णय अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है। अतः यह तनकी भी वादीगण के हक में निर्णित की जाती है।

–: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त तनकीयात के विवेचन एवं निर्णय एवं वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाणों एवं साक्ष्यों के आधार पर वादीगण सरहद मौजा बड़गांव के वर्तमान वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2278/387, 2279/388, 2280/391, 2508/391, 2509/391 व 2520/392 जूमले रकबा 1.20 हैक्टेयर में धुड़ा वल्द दौला के स्थान पर कृष्ण गोद पुत्र धुड़ा के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, एवं राजस्व रेकर्ड में तदनुसार अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण के कब्जे काश्त के संबंध में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे व न ही किसी से कराए। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को विधिवत पालनार्थ भेजी जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा, जिला सांचौर

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से सरे इजलास सुनाया

सहायक कलेक्टर
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रेवी देवी पुत्री कृष्ण 2. खेताराम पुत्र कृष्ण 3. नर्मदा पुत्री कृष्ण 4. प्रवीण पुत्र कृष्ण 5. झमकादेवी पत्नी कृष्ण जातियान भील निवासीयान बड़गांव तहसील रानीवाड़ा जिला – सांचौर	**बनाम**	1. बादली देवी पुत्री मुलाजी 2. भुराराम पुत्र मुलाजी 3. जेठाराम पुत्र धनाजी 4. सवाराम पुत्र धनाजी 5. नर्मदा पुत्री धनाजी 6. राजु पुत्र धनाजी 7. संगीता पुत्री जवानाराम 8. कैलाश पुत्र जवानाराम 9. टीना पुत्री जवानाराम 10. देवा पुत्र जवानाराम 11. दिनेश पुत्र जवानाराम 12. निता पुत्री जवानाराम जातियान भील निवासीयान बड़गांव तहसील रानीवाड़ा 13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रानीवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला – सांचोर

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 14/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 13 राजपेरोकार उपस्थित ,प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा सरहद मौजा बड़गांव के वर्तमान वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2278/387, 2279/388, 2280/391, 2508/391, 2509/391 व 2520/392 जूमले रकबा 1.20 हैक्टेयर में धुड़ा वल्द दोला के स्थान पर कृष्ण गोद पुत्र धुड़ा के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, एवं राजस्व रेकर्ड में तदनुसार अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे व न ही किसी से कराए। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को विधिवत पालनार्थ भेजी जावे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08.02.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested